



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072025-264813
CG-DL-E-21072025-264813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3209]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3209]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3279 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में NH67 के कि.मी. 642.916 से कि.मी.706.120 (आत्मकुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् आरडीओ आत्मकूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में NH67 के कि.मी. 642.916 से कि.मी.706.120 (आत्मकुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: एसपीएसआर नेल्लोर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मरीपाडु					
गांव का नाम: चोंचुलुरु					
1	183-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.02 (एकर)	0.0080939
2	190-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.01 (एकर)	0.0040469
3	198-2	सरकारी	गुंटा	0.2 (एकर)	0.0809389
4	199-2	सरकारी	पोराम्बोके	0.02 (एकर)	0.0080939
5	212	सरकारी	पोराम्बोके	0.03 (एकर)	0.0121408
6	212/1-1	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.01 (एकर)	0.0040469
7	212/3-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.32 (एकर)	0.1295022
8	213-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.07 (एकर)	0.0283286
9	226/1-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.15 (एकर)	0.0607042
10	226/3-1	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.1 (एकर)	0.0404695
11	245-1B	निजी	ड्राय	0.17 (एकर)	0.0687981
12	246-1A	निजी	ड्राय	0.53 (एकर)	0.2144881
13	254	निजी	ड्राय	0.14 (एकर)	0.0566572
14	256-2	निजी	ड्राय	0.43 (एकर)	0.1740186
15	260	सरकारी	पोराम्बोके	0.35 (एकर)	0.1416431
16	262-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.22 (एकर)	0.0890328
17	456-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.2 (एकर)	0.0809389
18	458	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.08 (एकर)	0.0323756
19	465-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.54 (एकर)	0.218535
20	466-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.35 (एकर)	0.1416431
21	468-1	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.18 (एकर)	0.072845
22	472-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	1.12 (एकर)	0.4532578
23	494-2	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.77 (एकर)	0.3116147
24	514-2B	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.17 (एकर)	0.0687981

तालुक का नाम: अनन्तसागरम					
गांव का नाम: ऐमेनीचिरुवेला					
25	437/6A	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.12 (एकर)	0.0485633
26	439/1B	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	1.83 (एकर)	0.7405909
27	440/1B	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	1.37 (एकर)	0.5544314
28	441/1B	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.71 (एकर)	0.2873331
29	442/3A	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	0.48 (एकर)	0.1942533
30	443/1B	सरकारी	ड्राय-डीकेटी	1.14 (एकर)	0.4613517
Total					4.7875356

[फा. सं. NHAI/PIU/NELLORE/BADVEL-NELLORE/LA/2020/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3279(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH67 in the stretch of (BADVEL-NELLORE) from Km.642.916 to Km.706.120 Atmakur Division in the district of SPSR Nellore in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, RDO Atmakur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH67 in the stretch of (BADVEL-NELLORE) from Km. 642.916 to Km.706.120 Atmakur Division of NH67 in the district of SPSR Nellore in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: SPSR Nellore		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Marripadu					
Village: Chunchuluru					
1	183-2	Government	Dry-Dkt	0.02 (Acre)	0.0080939
2	190-2	Government	Dry-Dkt	0.01 (Acre)	0.0040469

3	198-2	Government	Gunta	0.2 (Acre)	0.0809389
4	199-2	Government	Poramboke	0.02 (Acre)	0.0080939
5	212	Government	Poramboke	0.03 (Acre)	0.0121408
6	212/1-1	Government	Dry-Dkt	0.01 (Acre)	0.0040469
7	212/3-2	Government	Dry-Dkt	0.32 (Acre)	0.1295022
8	213-2	Government	Dry-Dkt	0.07 (Acre)	0.0283286
9	226/1-2	Government	Dry-Dkt	0.15 (Acre)	0.0607042
10	226/3-1	Government	Dry-Dkt	0.1 (Acre)	0.0404695
11	245-1B	Private	Dry	0.17 (Acre)	0.0687981
12	246-1A	Private	Dry	0.53 (Acre)	0.2144881
13	254	Private	Dry	0.14 (Acre)	0.0566572
14	256-2	Private	Dry	0.43 (Acre)	0.1740186
15	260	Government	Poramboke	0.35 (Acre)	0.1416431
16	262-2	Government	Dry-Dkt	0.22 (Acre)	0.0890328
17	456-2	Government	Dry-Dkt	0.2 (Acre)	0.0809389
18	458	Government	Dry-Dkt	0.08 (Acre)	0.0323756
19	465-2	Government	Dry-Dkt	0.54 (Acre)	0.218535
20	466-2	Government	Dry-Dkt	0.35 (Acre)	0.1416431
21	468-1	Government	Dry-Dkt	0.18 (Acre)	0.072845
22	472-2	Government	Dry-Dkt	1.12 (Acre)	0.4532578
23	494-2	Government	Dry-Dkt	0.77 (Acre)	0.3116147
24	514-2B	Government	Dry-Dkt	0.17 (Acre)	0.0687981
Taluk: Ananthasagaram					
Village: Amanichiruvella					
25	437/6A	Government	Dry-Dkt	0.12 (Acre)	0.0485633
26	439/1B	Government	Dry-Dkt	1.83 (Acre)	0.7405909
27	440/1B	Government	Dry-Dkt	1.37 (Acre)	0.5544314
28	441/1B	Government	Dry-Dkt	0.71 (Acre)	0.2873331
29	442/3A	Government	Dry-Dkt	0.48 (Acre)	0.1942533
30	443/1B	Government	Dry-Dkt	1.14 (Acre)	0.4613517
Total					4.7875356

[F. No. NHAI/PIU/NELLORE/BADVEL-NELLORE/LA/2020/3A]
 SHAIKH AMINKHAN, Director